रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

निगरानी 2562-PBR-15

1– श्रीमती अन्नपूर्णाबाई पति श्री महेश
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम तिल्लौरखुर्द तहसील व जिला इन्दौर

2– श्री दिनेश पिता श्री कन्हैयालाल
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम तिल्लौरखुर्द तहसील व जिला इन्दौर

3– शाबिर पिता शब्बीर
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – गुलजार कॉलोनी, तहसील व जिला इन्दौर --- प्रार्थीगण

विरूद्ध

1– श्री मनीष पिता सुरेशचन्द्र
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर

2– श्रीमती विजयाबाई पति श्रीराम वर्मा
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर

3– श्री सीताराम पिता यशवन्त
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर

4– श्री गौरीशंकर पिता छोगालाल
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर

5– श्री शिवशंकर पिता छोगालाल
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर

6– श्री शंकरलाल पिता मोहनलाल यादव
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर

7– चेतन पिता श्री सुरेशचन्द्र पाटीदार
आयु – 28 वर्ष, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर --- प्रतिप्रार्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि. 7.8.15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील प्र.क्र. 22/अपील/2015 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2015 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपनी निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करते है :–

– 2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2562–पीबीआर / 2015 **जिला इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2016	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने सीमांकन की कार्यवाही के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत होने के आधार पर म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 की कार्यवाही को स्थगित करने का निगरानीकर्तागण का निवेदन अमान्य किया है । संहिता की धारा 250 की कार्यवाही के निष्कर्ष उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले साक्षियों पर आधारित होते हैं, जिसमें सीमांकन की कार्यवाही का निष्कर्ष केवल एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । मात्र इस आधार पर संहिता की धारा 250 की कार्यवाही को नहीं रोका जा सकता है । विशेष रूप से जब, तब कि संबंधित न्यायालय से इस संबंध में कोई स्थगन आदेश भी नहीं दिया गया हो । उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि दिखलाई नहीं पड़ती है । अतः यह निगरानी अमान्य की जाती है । **अध्यक्ष**	